**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

**पुनर्विलोकन याचिका सं. 18/2025**

1. श्री अर्जुन प्रसाद दुबे (व्यक्तिगत रूप से), आयु-77 वर्ष 11 माह , पिता- स्वर्गीय श्री गया प्रसाद दुबे, पत- मकान सं. 323 यूनियन बैंक की बाजू गली गंजपारा- बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) पिन- 491335

**..... याचिकाकर्ता**

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अध्यक्ष, प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, 445 **B**, प्रियदर्शनी नगर रायपुर (छ.ग.)

2. उप- पंजीयक सहकारी समितियाँ (पाइकेग) विवेकानंद परिसर, पेंशन बड़ा, रायपुर (छ.ग.)

**..... उत्तरवादी**

याचिकाकर्ता की ओर से : याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित

**एकल पीठ : माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश**

**पीठ पर आदेश**

**21.04.2025**

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका रिट याचिका (सिविल) सं. 3803/2023 में पारित 03.09.2024 दिनांकित सी. ए. वी. आदेश के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. यह पुनर्विलोकन याचिका अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर प्रस्तुत की गई है किः

• जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम रायपुर ने गलत निर्णय दिया है कि वाद 14.8.2010 दिनांकित नोटिस से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और वाद कारण 24.2.2014 दिनांकित नोटिस से उद्भूत नहीं हुआ है। वाद कारण सबसे पहले तब उद्भूत हुआ जब भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया और दूसरा, जब भूमि के आवंटन के संबंध में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता के दावे को परिसीमा के आधार पर वर्जित नहीं माना जा सकता है क्योंकि आज दिनांक तक उसे भूखंड का कब्जा नहीं पारित किया गया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में वाद कारण जारी था। इस प्रकार, जिला फोरम और राष्ट्रीय फोरम के याचिकाकर्ता के दावे को अपास्त करने के आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• उच्च न्यायालय ने 22.04.1991 दिनांकित अनुमति पत्र (रिट याचिका के लिए अनुलग्नक **P**-20) पर उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि याचिकाकर्ता को 01.02.1993 से दो वर्ष के भीतर मामला प्रस्तुत करना चाहिए था।

• यह गलत निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता को 01.02.1993 अर्थात् जिस दिनांक को याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी सोसायटी द्वारा रु.40 प्रति वर्ग फीट की मांग तथा रु. 2/- प्रति वर्ग फीट की दर से भूखंड के आवंटन के संबंध में कलेक्टर से शिकायत की थी, के दो वर्ष के भीतर मामला प्रस्तुत करना चाहिए था।

• याचिकाकर्ता ने केवल अग्रिम राशि की वापसी की मांग की है, परन्तु यह

गलत तरीके से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने भूमि के मूल्य सहित पूरी राशि की मांग की है।

• परिसीमा के पहलू से निपटने के दौरान, 1986 के अधिनियम के बजाय 2019 के अधिनियम के उपबंधों पर विचार किया गया है, जिसे 20.7.2020 को निरस्त कर दिया गया था।

3. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और उस आदेश, जिसके पुनर्विलोकपन की मांग की गई है, का परिशीलन किया गया।

4. निर्विवाद रूप से, इस याचिका में जिस आदेश के पुनर्विलोकन की मांग की गई है, उसे रिट याचिका सं.788/2024 में अपीली न्यायालय के समक्षपुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा असफल रूप से चुनौती दी गई थी, जिसे 27.11.2024 पर खारिज कर दिया गया था। यह पुनर्विलोकन याचिका गुण-दोष के आधार पर रिट अपील को खारिज करने के बाद प्रस्तुत की गई है और इस प्रकार पुनर्विलोकन के तहत इस आदेश का युगल पीठ के आदेश से विलय हो गया। एक पुनर्विलोकन तब स्वीकार्य नहीं होती है जब पुनर्विलोकन याचिका के लंबित होने के दौरान या दायर करने से पहले, अपीली न्यायालय ने पुनर्विलोकन के तहत आदेश को यथावत रखा और उसका अपीली न्यायालय के आदेश में विलय हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम मेसर्स अमृतलाल भोगीलाल एंड कंपनी ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 868 में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निर्णय अभिनिर्धारित किया हैः

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि किसी अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, तो अपीली प्राधिकरण का निर्णय विधि में प्रभावी निर्णय है। यदि अपीली प्राधिकारी अधिकरण के निर्णय को संशोधित करता है या को उलट देता है तो यह स्पष्ट है कि वह अपीली निर्णय ही होगा जो प्रभावी होगा और इसे लागू किया जा सकता है। विधि में स्थिति वही होगी

भले ही अपीली निर्णय केवल अधिकरण के निर्णय की पुष्टि करता हो। अपीली प्राधिकारी द्वारा अधिकरण के निर्णय की पुष्टि या संपुष्टि के परिणामस्वरूप मूल निर्णय का अपीली निर्णय में विलय हो जाता है और यह केवल अपीली निर्णय है जो कायम रहता है और कार्यात्मक और प्रवर्तन में सक्षम होता है।"

6. **(1997) 9 एस. सी. सी. 736** में प्रतिवेदित त**मिलनाडु विद्युत मण्डल व एक अन्य बनाम एन. राजू रेड्डी व एक अन्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने कहा है कि जब कोई अपील/विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है, तो विरल मामलों, जहां अभिलेख पर विधि या तथ्य की त्रुटि स्पष्ट है, को छोड़कर अन्य मामलों में कोई पुनर्विलोकन प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पुनर्विलोकन याचिका सं.9/2012, पक्षकार अनूप कुमार रॉय व अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य व अन्य, 20.06.2012 को निर्णीत, में गुवाहाटी उच्च न्यायालय (अगरतला पीठ) ने विचारार्थ प्रश्न यह था कि क्या पुनर्विलोकन के तहत आदेश के विरुद्ध अपील खारिज होने के बाद, यह अभी भी उक्त अपील के अपीलार्थियों के लिए खुला है कि वे रिट अपील में पारित निर्णय और आदेश की नहीं, परन्तु उस याचिका में पारित निर्णय और आदेश का पुनर्विलोकन करें जिसके विरुद्ध न्यायालय के भीतर अपील प्रस्तुत की गई थी और खारिज कर दिया गया था। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने यह दर्ज करते हुए पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दी कि रिट याचिका में न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अपीली न्यायालय में विलय हो चुका था और इसलिए, पुनर्विलोकन की मांग यदि कोई हो तो, अपीली निर्णय की जानी चाहिए न कि रिट याचिका में पारित मूल आदेश की। उक्त निर्णय की सुसंगत कण्डिकाएँ नीचे उद्धरित की जा रही हैंः-

"3. अतः, इस पुनर्विलोकन में विचारार्थ जो प्रश्न सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, वह

हैः पहले से ही एक अपील प्रस्तुत करने के बाद और उस अपील के खारिज हो जाने के बाद, क्या यह अभी भी उक्त अपील के अपीलार्थियों के लिए खुला है कि वे रिट याचिका सं.66/2006 में पारित निर्णय और आदेश की नहीं, परन्तु सिविल नियम सं.400/1996 में पारित 15/09/2006 दिनांकित निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन की मांग करें, जिसके विरुद्ध न्यायालय के भीतर अपील, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत की गई थी और खारिज कर दी गई थी?

14. विधि के उपरोक्त पहलू को सर्वोच्च न्यालालय द्वारा कुन्हयम्मद व अन्य बनाम केरल राज्य व एक अन्य (**MANU/SC**/0432/2000 **MANU/SC**/0432/2000: **AIR** 2000 **SC** 2587), के मामले में संक्षिप्त और अधिकृत रूप से निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "......(i) जहां किसी अधिकरण, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उच्चतर फोरम के समक्ष पारित आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रदान किया जाता है और ऐसा उच्चतर फोरम उसके समक्ष जारी किए गए निर्णय को संशोधित करता है, उलट देता है या उसकी पुष्टि करता है, तो अधीनस्थ फोरम द्वारा निर्णय का उच्चतर फोरम द्वारा निर्णय में विलय हो जाता है और यह बाद वाला है, जो कायम रहता है, सक्रिय रहता है और विधि की दृष्टि में प्रवर्तन करने में सक्षम होता है।
> **(ii)** संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता दो चरणों में विभाजित है। पहला स्तर अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना के निपटारे तक है। दूसरा स्तर तब शुरू होता है जब अपील

करने की अनुमति प्रदान की जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में परिवर्तित किया जाता है। **(iii)** विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। यह उच्चतर फोरम द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति पर निर्भर होगा तथा प्रतिपादित की गई या प्रतिपादित की जा सकने वाली सामग्री या विषय-वस्तु प्रयोज्यता या विलय का निर्धारक होगा। उच्चतर अधिकारिता को अपने समक्ष जारी किए गए संशोधित आदेश को उलटने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यालालय अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निर्णय- डिक्री या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है को उलट सकता है, संशोधित कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है, न कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका का निपटान करते हुए विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए। अतः विलय का सिद्धांत पहले वाले पर लागू किया जा सकता है न कि बाद वाले पर। **(iv)** अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश अस्पष्ट (नॉन स्पीकिंग ऑर्डर) आदेश या स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) हो सकता है। किसी भी प्रकरण में, यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। अपील के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं था ताकि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सके। **(v)** अपील करने की अनुमति से इनकार करने वाला आदेश यदि एक स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) है, अर्थात् अनुमति प्रदान करने से इनकार करने का कारण बताता है, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं।सबसे पहले, आदेश में निहित विधि का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कथन संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यालालय द्वारा विधि  की घोषणा है। दूसरा, विधि की घोषणा के अलावा, आदेश में जो कुछ भी कहा गया है, वह सर्वोच्च न्यालालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष हैं जो उसके पक्षों को और अधिकरण, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की किसी भी कार्यवाही में बाध्य करेगा, सर्वोच्च न्यालालय देश का सर्वोच्च न्यालालय है। परन्तु यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि अधिकरण, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण का आदेश विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने वाले सर्वोच्च न्यालालय के आदेश में विलय हो गया है या सर्वोच्च न्यालालय का आदेश ही एकमात्र आदेश है जो पक्षों मध्य बाद की कार्यवाही में न्यायिक आधार पर बाध्यकारी है। (**vi**) एक बार अपील करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो और सर्वोच्च न्यालालय के अपीली अधिकारिता का आह्वान किया जा चुका हो, तो अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा; आदेश प्रत्यावर्तन, संशोधन या केवल पुष्टि का हो सकता है, (**vii**) कोई अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यालालय के समक्ष अपील में परिवर्तित किए जाने पर, उसके बाद पुनर्विलोकन याचिका पर विचार करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के उप-नियम (1) द्वारा उपबंधित किया गया है।

(जोर दिया गया)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. कुन्हयम्मद व अन्य बनाम केरल राज्य व एक अन्य (**MANU**/**SC**/0432/2000 **MANU**/**SC**/0432/2000: **AIR** 2000 **SC** 2587) (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि से जो उद्भूत होता है वह यह है कि जब किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान हो और अपील प्रस्तुत की जाती है तब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अपील न्यायालय के निर्णय से विलय हो जाता है तथा अपीली न्यायालय का निर्णय ही प्रभावी रहता है तथा विधि की दृष्टि में प्रवर्तनीय होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21.....(**MANU**/**SC**/0804/1996**MANU**/**SC**/0804/1996: (1996) 3 **SCC** 463 : (**AIR** 1996 **SC** 3069) में प्रतिवेदित महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर भीकाजी इंगले के मामले में सर्वोच्च न्यालालय की निम्नलिखित टिप्पणियांः

> **"**3. उत्तरवादी के लिए यह तर्क दिया जाता है कि विशेष अनुमति याचिका की बर्खास्तगी अधिकरण को आदेश के पुनर्विलोकन करने से नहीं रोकती है क्योंकि बर्खास्तगी एक अस्पष्ट आदेश (नॉन- स्पीकिंग ऑर्डर) था। हम उत्तरवादी के तर्क की सराहना करने में विफल हैं। यह सच है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) के बिना विशेष अनुमति याचिका की बर्खास्तगी न्यायिक प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। रेज़ जुडिकेटा का सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित है कि पक्षों को उन ही पक्षों मध्य सीधे या पर्यास रूप से विवाद करने की

अनुमति नहीं दी जा सकती है या जो बाद के चरणों में उसी कार्यवाही में बाद के मुकदमे में पक्षकारों के तहत दावा करते हैं, उन्हें एक बार नहीं उठाया जा सकता है। यह पीड़ा को रोकने के लिए सार्वजनिक नीति का एक ठोस सिद्धांत है।

4. परन्तु इस प्रकरण में, जब इस न्यायालय द्वारा स्वयं के मुख्य आदेश की पुष्टि की गई थी, तो प्रश्न उठता है कि क्या अधिकरण के पास आदेश 47 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता या अधिकरण अधिनियमों के तहत किसी अन्य उचित प्रावधान के तहत उसके द्वारा पारित आदेशों की पुनर्विलोकन करने की शक्ति है और इस न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान करना से इनकार करके पुष्टि की गई है। हम पाते हैं कि पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग न्यायिक अनुशासन के लिए हानिकारक है। एक बार जब यह न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर लेता है, तो वह अंतिम हो जाता है। अतः अधिकरण के पास पिछले आदेश की पुनर्विलोकन करने की कोई शक्ति नहीं हो सकती है जिसका इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ विलय हो गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पुनर्विलोकन याचिका की सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने यह पुनर्विलोकन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की है कि न्यायालय ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम द्वारा याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति की पुष्टि करने में अवैधता की है, जिसे परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया है, जिसे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा यथावत रखा गया है। पुनर्विलोकन याचिका में उठाए गए आधार वही हैं जो रिट याचिका में पहले ही उठाए जा चुके हैं, जिन पर इस न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया था, अतः पुनर्विलोकन को तथ्यों और रिट याचिका में उठाए गए आधारों के पुनर्मुल्यांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। वस्तुतः उसमें उल्लिखित आधारों पर

वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका छद्म रूप में एक अपील प्रतीत होती है। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए आधार या तो यह हैं कि न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधिक रूप से मान्य नहीं है, या यह कि यह विकृत है, या यह कि वह अस्वीकार्य है। एक निर्णय /आदेश गलत, त्रुटिपूर्ण, विधिक रूप से असमर्थनीय आदि हो सकता है, परन्तु फिर भी विधि की दृष्टि में एक वैध निर्णय बना रहता है, जिसके विरुद्ध पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र उपलब्ध मार्ग उसके विरुद्ध अपील करना है। इस तरह के आधार अभिलेख के आधार पर तथ्य या विधि की त्रुटियों का गठन नहीं करते हैं जो एक पुनर्विलोकन का आह्वान करें। **(2004) 10 एस. सी. सी. 126** में प्रतिवेदित **सुरेंद्र कुमार वकील व अन्य बनाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. व अन्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> "10..... जिस बिंदु पर सुनवाई की गई है और निर्णय लिया गया है, वह पुनर्विलोकन के लिए आधार निर्मित नहीं कर सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि पुनर्विलोकन के तहत निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यहां तक कि, यह भी विधि में सुस्थापित है कि पुनर्विलोकन की आड़ में, पुनः सुनवाई की अनुमति नहीं है। पुनर्विलोकन प्राप्त करने के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि आदेश अभिलेख के आधार पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है। पुनर्विलोकन का दायरा बहुत सीमित है और एक आदेश या निर्णय केवल तभी पुनर्विलोकन के लिए खुला है जब अभिलेख के आधार पर कोई त्रुटि स्पष्ट हो। **ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 455** में प्रतिवेदित **श्रीमती मीरा भन्ज बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

| | | |
|---|---|---|
| | "8. यह सुस्थापित विधि है कि पुनर्विलोकन कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे आदेश **XLVII**, नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के | |

दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। आदेश **XLVII**, नियम 1 के तहत न्यायालय की शक्तियों की परिसीमा के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेशों की पुनर्विलोकन करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय को उपलब्ध समान अधिकारिता से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशक शर्मा के प्रकरण में चिन्नाप्पा रेड्डी, न्यायाधीश के माध्यम से बोलते हुए, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की है :

> **"**यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है जो न्याय की विफलता को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए पूर्ण अधिकारिता के प्रत्येक न्यायालय में निहित है....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **(2020) 2 एस. सी. सी. 677** में प्रतिवेदित **शांति कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत मण्डल व अन्य** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि :-

**"**25. .....इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पुनर्विलोकन के दायरे को दोहराया गया है। परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्रि देवी व अन्य, (1997) 8 एस. सी. सी. 715 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त है, जिसमें कण्डिका 9 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया हैः

> **"**9. आदेश 47 नियम 1 सी. सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्विलोकन के लिए खुला हो सकता है यदि अभिलेख के आधार पर कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट हो। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही अभिलेख के आधार पर एक स्पष्ट

त्रुटि कहा जा सकता है जो न्यायालय को आदेश 47 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी त्रुटिपूर्ण निर्णय का "फिर से सुना और सुधारा जाना" अनुज्ञेय नहीं है। यह याद रखा जाना चाहिए कि एक पुनर्विलोकन याचिका का सीमित उद्देश्य होता है और इसे "छद्म अपील" बनने नहीं दिया जा सकता है।"

11. ऊपर उद्धृत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और इस पुनर्विलोकन याचिका में पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता 03.09.2024 दिनांकित आदेश में पुनर्विलोकन आवश्यक बनाने वाली कोई स्पष्ट त्रुटि अभिलेख के आधार पर इंगित करने में विफल रहा और इसके अलावा, पुनर्विलोकन में किए जाने वाले आदेश को रिट अपील में पारित अपीली आदेश के साथ मिला दिया गया है। ऐसा होने के कारण, पुनर्विलोकन याचिका गुण रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा एतद्द्वारा खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**(पार्थ प्रतिम साहू)**

**न्यायाधीश**

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur